प्रपत्र - क

नियम 3 के
अधीन.....)

(असंक्रमणी)

निबन्धन के प्रार्थना-प्रपत्र आदि के लिये अधियाचन

सहायक जिला निबन्धक,
सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

हमारा अभिप्राय एक सहकारी समिति संगठित करने का है, जिसके व्यौरे नीचे दिये गये है।

कृपया मुझे/पत्रवाहक को

(1) संगत प्रतिमान उपविधयों की चार प्रतिलिपिया तथा
(2) निबन्धक के प्रार्थना-पत्र के प्रपत्र का एक सेट दिया जाये। पश्चात्वर्ती का मूल्य जो पचास पैसे है। एतद्द्वारा भेजा जाता है।

भवदीय.....

हस्ताक्षर.....

नाम तथा पूरा पता.....

(1) प्रस्तावित समिति का

नाम.....

(2) मुख्यालय तथा पूरा
पता.....

(3) प्रस्तावित समिति के उद्देश्य/कारोबार का
प्रकार.....

(4) प्रस्तावित कार्यक्षेत्र
.....

(5) सदस्यता किस प्रकार की
है.....

(6) निबन्धक के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित होने के लिए सम्भावित व्यक्तियों की संख्या.....

अवधेय:

(1) अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों में निर्धारित अन्य शर्तो के अधीन रहते हुए किसी परिवार का एक से अधिक सदस्य किसी ऋणी/निवास समिति में सम्मिलित नही हो सकता हैं।

(2) अधियाचन पर प्रपत्र एवं उपविधियॉ सॅम्भारित करने से निबन्धक, उक्त प्रस्तावित समिति का निबन्धन करने या उसकी सदस्यता, उद्देश्य अथवा कार्यक्षेत्र का अनुमोदन करने के लिए बचन वद्ध नही है।

(3) प्रपत्र शुल्क किसी भी दशा में प्रतिदेय या संक्रमणीय न होगा।

(4) यदि समुपयुक्त प्रतिमान उपविधियॉ न हो तो केवल निबन्धन का प्रपत्र सम्भारित किया जायेगा तथा उपविधियॉ स्वयं प्रार्थियों द्वारा तैयार की जायेगी।

(नियम 4 देखिये)

अधियाचनुसार प्रतिमान उपविधियों तथा निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्रो के प्रपत्रो का एक सेट प्राप्त हुआ।

प्रार्थी के या प्रार्थी के लिए हस्ताक्षर

निम्नलिखित प्रतिविष्टयॉ, सहायक निबन्धक के कार्यालय में सम्बद्व लिपिक द्वारा भरी जायेगी।

(1) 50 पैसे की नकद की अभिदेश संख्या तथा
दिनांक.....
(2) सम्भारित प्रतिमान उपविधियों का अभिदेश।
(3) अधीनस्थ कर्मचारियों की दी गई किसी सलाह का अभिदेश।

एतद्कारी सहायक के हस्ताक्षर

प्रपत्र ख

(नियम 6 के अधीन)

निबन्धक के प्रार्थना-पत्र की अस्वीकृति

श्री.....
.....
.....
(शब्दो
में).....
.....
(प्रस्तावित समिति का नाम) के सम्बन्ध में निबन्धन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र रजिस्टर की क्रम संख्या.....
निबन्धन.....
.....

प्राधिकारी की कार्यालय

मोहर

प्राप्ति या एतद्कारी लिपिक के हस्ताक्षर

प्रपत्र ग

(नियम 7 के अधीन)

निबन्धन प्राधिकारी (निबन्धक/उप निबन्धक) के कार्यालय में प्राप्त निबन्धक के लिए प्रार्थना पत्रों का रजिस्टर:

क्रम संख्या	प्रस्तावित समिति तथा मुख्य प्रवर्तक के नाम	समिति का पूर्ण पता	प्राप्ति का दिनांक तथा किस प्रकार प्राप्त हुआ	निगमित अभिस्वीकृति का दिनांक तथा अभिलेख संख्या
1	2	3	4	5

अभिदेश जिनके द्वारा अतिरिक्त सूचना या जॉच अपेक्षित हो	दिनांक जब तक अतिरिक्त सूचना या जॉच अपेक्षित हो	दिनांक जिस पर अतिरिक् जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई
6	7	8

आदेश की संख्या तथा दिनांक

निबन्धक	अस्वीकृत	आद्याक्षर	अभ्युक्ति
9	10	11	12

टिप्पणी :

(1) स्तम्भ 2 में प्रस्तावित समिति का नाम और तत्पश्चात मुख्य प्रवर्तक का नाम जिसके पहले शब्द "द्वारा" लिखे जायें।

(2) स्तम्भ 5 में प्रार्थी को जारी किये प्रपत्र संख्या 5 का अभिदेश दिया जाये।

प्रपत्र-घ

(नियम 10 के अधीन)

निबन्द्व सहकारी समितियों का रजिस्टर

जिला.....

निबन्धन का दिनांक	क्रम संख्या/निबन्धन संख्या	समिति का नाम	निबद्व का पता	समिति का वर्ग(उपवर्ग समिति)	दायित्व	निबन्धन प्रत्रावली का अभिदेश	निबन्धन करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर	संशोधन यदि कोई हो		सम्बद्व केन्द्रीय समिति का नाम	अभियुक्ति
								निबन्धन का दिनांक	संशोधित उपविधियों का अभिदेश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

टिप्पणी:

(1) स्तम्भ 5 मे, समिति का निबन्धन वर्गीकरण लिखा जाये।

(2) स्तम्भ 6 में यह स्पष्ट किया जाये कि दायित्व अंको के गुणित तक सीमित है या असीमित है।

(3) स्तम्भ 7 मे, उस पत्रावली का अभिदेश दिया जाये जिसमें निबन्धन का प्रार्थना-पत्र इस विषय पर समस्त पत्र-व्यवहार तथा संसूचनाये तथा निबन्धन

प्रमाण-पत्र उपविधियों की एक प्रतिलिपि तथा निबन्धन की सूचना की एक प्रतिलिपि होनी चाहिए।

(4) यदि समिति का निबन्धन, घारा 7 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निदेश के अधीन किया गया हो और

समिति के समापन के आदेश का अभिदेश, जब समिति का समापन, अधिनियम की धारा 72 के अधीन किया गया हो, तो स्तम्भ 12 में इसका

उल्लेख किया जा सकता है।

प्रपत्र-ड.

(नियम 11 के अधीन)

कार्यालय निबन्धक/उपनिबन्धक, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश

संख्या.....

दिनांक.....

श्री.....

मुख्य प्रवर्तक/सचिव

महोदय,

.....के निबन्धन/ .....की उपविधियों के संशोधन के लिए, दिनांक..... के आपके प्रार्थना पत्र के अभिदेश में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त समिति को/उपविधियों के संशोधन को नीचे दिये गये ब्योरों के अनुसार निबद्व कर दिया गया है। निबन्धन के प्रमाण-पत्र तथा निबद्व उपविधिया/उपविधियों का संशोधन आपको सहायक निबन्धक के माध्यम से भेजे जा रहे है।

आपका विश्वासपात्र

निबन्धक/उप निबन्धक

सहकारी समितिया, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित संलग्नकों के साथ, सहायक निबन्धक.....

.....

.....को

प्रेषित:-

(1)-
(2)-
(3)-

प्रतिलिपि प्रबन्धक सचिव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड..... को प्रेषित

निबन्धक/उप-निबन्धक

सहकारी समितिया, उत्तर प्रदेश।

जिला	समिति का नाम	निबन्धन की संख्या	निबन्धन का दिनांक	निबन्धक का वर्गीकरण	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी:

(1) एक प्रपत्र का उपयोग केवल एक मामले के लिए किया जाना चाहिए।

(2) यदि स्तम्भ संख्या 1 से समिति के कार्य का प्रकार स्प्ष्ट न हो तो उस दशा में अभ्युक्ति स्तम्भ में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है। यदि कोई

समिति, समामेलन या विभाजन द्वारा निर्मित की गई हो तो अभ्युक्ति स्तम्भ में मूल समिति या समितियों के नाम, निबन्ध संख्या संख्या और दिनांक

का भी उल्लेख किया जाना चाहिये।

(3) जो अनावश्यक हो उसे काट दिया जाये।

(4) उपविधियों के संशोधनों के निबन्धनों की दशा में -

(क) समिति का वर्गीकरण यदि वह अपरिवर्तित हो, देना आवश्यक नही है;

(ख) इस सूचना की प्रतिलिपि, जब तक कि यह ऐसे सारवान परिवर्तन का मामला न हो जिससे केन्द्रीय बैंक या केन्द्रीय समिति समिति के सम्बन्ध मे सम्बन्धों या आभार पर प्रभाव पड़ता हो, सम्बद्ध केन्द्रीय समिति को भेजना आवश्यक नही है;

(ग) संशोधित उपविधियों में खण्डों का अभिदेश अभ्युक्ति स्तम्भ में दिया जा सकता है।

(5) यदि केन्द्रीय समिति जिससे प्रश्नगत समिति सम्बद्व हो या सम्बद्व की जानी हो, केन्द्रीय बैंक से भिन्न हो, तो प्रतिलिपि सम्बन्धित केन्द्रीय समिति को

पृष्ठाकिंत की जानी चाहिये न कि केन्द्रीय सरकारी बैंक को।

प्रपत्र-च

(नियम 11 के अधीन)

निबन्धन प्रमाण-पत्र

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया।

प्रमाणित किया जाता है

कि*.....
..... को सहकारी समिति के रूप में निबन्धित करने के लिए श्री
.....
.....तथा अन्य द्वारा, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) की धारा 6 के अधीन दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया गया है और उक्त समिति (निबन्ध के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ उप विधियों सहित), उक्त अधिनियम के अधीन, उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शर्तो और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत बनी नियमावली और जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों तथा उक्त समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए..... जिले को, संख्या..... के रूप में निबन्धित की गयी है

निबन्धक/उप-निबन्धक
सहकारी समितिया

(मुहर).....

दिनांक 19

उप-विधियों के संशोधन के सम्बन्ध में पृष्ठांकन:

संशोधन उपविधि का अभिदेश	संशोधन के निबन्धन का दिनांक	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4

*प्रस्तावित समिति का पूरा नाम उल्लिखित किया जायेगा।

**रिक्त स्थान समिति का संशोधित नाम अभिलिखित करने के लिये है, यदि नाम परिवर्तन धारा 10 के अधीन लिया जाये।

प्रपत्र -छ

(नियम 20 के अधीन)

नियम 20 के अधीन अपेक्षित दावों के क्रमबद्व भुगतान की योजना

क्रम संख्या	सूचना प्राप्त होने का दिनांक	सदस्य या ऋणदाता का नाम	दावा की गयी धनराशि	अंश निक्षेप ऋण में दावे का प्रकार	समिति की पुस्तकों के अनुसार उसे प्रतिदिन के लिये देय धनराशि
1	2	3	4	5	6

विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित हुआ या नहीं	यदि विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित हो तो मतदान संकल्प के पक्ष मे किया या विपक्ष में	वापसी के कारण	क्या समिति दावे का भुगतान करने की स्थिति में है या नही	अभियुक्ति
7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना सही है तथा समिति के अभिलेख से मिलती है।

.....

.....

सचिव

सभापति

टिप्पणी: स्तम्भ 6 मे धनराशि अवधारित करते समय धारा 41 के उपबन्धों को ध्यान में रखा जायेगा और ऐसी दशा में गणना अभ्युक्ति में दी जायेगी।

प्रपत्र-ज

(नियम 27 के अधीन)

उपविधियों के संशोधन के निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र का प्रपत्र

1-सहकारी समिति का
नाम.....
.....
2-निबन्धन की संख्या तथा
दिनांक.....
.....
3-सामान्य बैठक का दिनांक जिसमें संशोधन पारित किया
गया.....
4-सामान्य बैठक बुलाने के लिए गये नोटिस की दिनों की
संख्या.....
5-ऐसी बैठक के दिनांक को समिति के सदस्यों की
कुल.....
6-*गणपूर्ति करने वाले सदस्यों वाले सदस्यों की संख्या (नियम 26
देखिये).....
7-बैठक में उपस्थित सदस्यों की
संख्या.....
8-सदस्यों की संख्या जिन्होंने बैठक में मतदान
किया.....
9-सदस्यों की संख्या जिन्होंने संशोधन के पक्ष में मत
दिया.....
10-

अभियुक्ति.....
.....

सचिव.....
सभापति.....
सहकारी समिति.....

प्रार्थना-पत्र का दिनांक

संलग्नक -

1- प्रस्तावित संशोधन की तीन प्रतिलिपियॉ।

2-संकल्प की तीन प्रमाणित प्रतिलिपियॉ।

3-समिति की निबद्व उपविधियॉ।

4- निबन्धन का प्रमाण-पत्र।

5-बैठक की कार्य-सूची की सूचना (नोटिस) की प्रतिलिपि।

6- नियम 26 के अधीन जारी किये गये निबन्धक के आदेश की, यदि कोई हो प्रतिलिपि।

अवधेय:

1- यह प्रार्थना-पत्र उस बैठक के, जिसमें संशोधन को संकल्पित किया गया हो, दिनांक के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा। (देखिये नियम 27)

2-यदि बैठक एक तिहाई गणपूर्ती से कम पर की गयी हो तो यह प्रकट करना चाहिये कि क्या निबन्धक ने 1/5 या 1/7 की कम गणपूर्ति से बैठक करने

का निदेश दिया था।

3-स्तम्भ 10 में संशोधन के लिए विशेष कारणो के बारे में, यदि कोई हो, उल्लेख किया जा सकता है।

प्रपत्र-झ

(नियम 33 के अधीन)

अधिनियम की धारा 74 के अधीन संशोधनों का निबन्धन

क्रमं संख्या	सहकारी समिति का नाम	पूरा पता	समिति की निबन्धन संख्या तथा उसके निबन्धन का दिंनाक	संशोधित उप-विधियों का अभिदेश	धारा 14(1) के अधीन जारी आदेश का अभिदेश
1	2	3	4	5	6

धारा 14(2) के अधीन सरकारी अनुमोदन का अभिदेश	धारा 14(2) के अधीन जारी आदेश का अभिदेश	संशोधन के निबन्धन का दिंनाक	निबन्धक/अपर निबन्धक/उपनिबन्धक के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11

अवधेय:

अभ्युक्ति स्तम्भ में सम्बद्व पत्रावली का अभिदेश उल्लिखित किया जाये।

प्रपत्र-ञ

(नियम 37 के अधीन)

अभिस्वीकृत के अधीन रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजना या व्यक्तिगत रूप से देना

संख्या.....

दिनांक.....

निबन्धक/उपनिबन्धक,

सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश

महोदय,

आपको यह सूचित किया जाता है कि..... सहकारी समिति निबन्धन संख्या.....दिनांक..... की सामान्य बैठक, समामेलन/विलयन/विभाजन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये.....को..... (स्थान) पर किये जाने के लिए बुलाई गई है। कार्य-सूची तथा प्रस्तावित संकल्प की एक प्रतिलिपि, जिसमें परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के संक्रमण/विभाजन सहित समामेलन/विलयन/विभाजन के समस्त ब्योरे निहित है, यहां संलग्न है।

यह पत्र, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 15/16 के अधीन नोटिस के रूप में समझा जाये।

आपका विश्वासपात्र

सभापति/सचिव

सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश

.....

संलग्नक:

1- कार्य-सूची

2- प्रस्तावित संकल्प

आवश्यक ब्यौरे सहित:

प्रतिलिपि, संलग्नकों की प्रतिलिपि सहित जिला सहायक निबन्धक को प्रेषित;

प्रपत्र-ट

1[नियम 418, 430 तथा 442 के अधीन नाम निर्देशन-प्रपत्र]

1-पद नाम जिसके लिये निर्वाचन किया जायेगा.....

2-पद से सम्बद्व सहकारी समिति का पूरा निबद्व नाम.....

3-(1) उम्मीदवार की:

मतदाता सूची में क्रम संख्या.....

(2) उसका पूरा नाम (जैसा मतदाता सूची में हो).....

(3) क्या वह सरकारी समिति का कोई व्यक्ति विशेष सदस्य है.....

1. अधिसूचना संख्या 3815/सी0-1-77-7(5),1977 दिनांक 24 दिसम्बर 1977 के द्वारा रखे गये।

अथवा

(4)क्या वह किसी सम्बद्व समिति/निकाय या प्राधिकारी..... का कोई प्रतिनिधि है। यदि ऐसा हो तो ऐसी सम्बद्व समिति/निकाय या प्राधिकारी का नाम.....

4-(1) पिता का नाम (पुरूष उम्मीदवार तथा अविवाहित महिला उम्मीदवार की दशा में.....

4-(2) पति का नाम (विवाहित) महिला उम्मीदवार की दशा में.....

5- प्रस्तावक की:

(1) मतदाता सूची में क्रम संख्या.....
.....

(2) उसका पूरा नाम (जैसा मतदाता सूची में हो).....

(3) क्या वह सरकारी समिति का कोई व्यक्ति विशेष सदस्य है.....

अथवा

(4) क्या वह किसी सम्बद्व समिति/ निकाय/ प्राधिकारी का कोई प्रतिनिधि है..... यदि ऐसा हो तो सम्बद्व समिति/निकाय/प्राधिकारी का नाम-

(5) हस्ताक्षर/ अंगुष्ठ चिन्ह.....

6-अनुमोदक की:

(1) मतदाता सूची में क्रम संख्या.....
.

(2) उसका पूरा नाम(जैसे मतदाता सूची में हो).....

(3) क्या वह सहकारी समिति का कोई व्यक्ति विशेष सदस्य है.....

अथवा

(4) क्या वह किसी सम्बद्ध समिति, निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है..... यदि ऐसा हो तो ऐसी सम्बद्ध समिति/निकाय/प्राधिकारी का नाम-

(5) हस्ताक्षर या अगुष्ठ
चिन्ह.....
.....

उम्मीदवार की घोषणा:

मै यह घोषणा करता हू कि मै निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक हू और मै उस पद के लिए जिसका कि मै एक उम्मीदवार हू नियमों तथा समिति की उपविधियों के अनुसार निर्वाचन करने लिए अर्ह हू।
उम्मीदवार का हस्ताक्षर या अगुष्ठ चिन्ह
.....

टिप्पणी:

(1) एक उम्मीदवार केवल एक ही प्रपत्र का उपयोग और एक पद के लिये करेगा।

(2) यदि उम्मीदवार के प्रस्तावक, अनुमोदक अशिक्षित हो, तो उसका अगुंष्ठ चिन्ह, समिति के शिक्षित अधिकारी या विभाग के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

(3) इस प्रपत्र में अभिदिष्ट मतदाता सूची का तात्पर्य, आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात अन्ततः तैयार की गई मतदाता सूची से है।

सहकारी कृषि प्रपत्र-1

[नियम 291 (ख) देखिये]

सेवा में,

निबन्धक उप-निबन्धक,

सहकारी समिति,

उत्तर प्रदेश।

.....

महोदय,

हम गॉव समाज.....

डाकखाना..... परगना.....

तहसील..... जिला..... के अधोहस्ताक्षरी सदस्य, जिन्होने..... सहकारी कृषि समिति, जिला.....) के निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है और जिसके पास आपस में..... मण्डल (सर्किल) की..... एकड़ भूमि में भूमिधारी तथा सीरदार अधिकार है, अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सहकारी कृषि समिति बनाने के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि का समुच्चय करना चाहते है, और एतद्द्वारा, सहकारी अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के सभी संगत उपबन्धो का पालन करने लिए सहमत है।

उपयुक्त भूमि के ब्यौरे नीचे दिये गये है।

प्रार्थियों की क्रम संख्या	खातेदार का नाम (पितृ नाम सहित प्रार्थियों के नाम, निवास-स्थान तथा आयु)	खाते के प्रकार	जोत के खेतों की खसरा संख्या जिसके साथ एकड़ो या मानक बीघों में क्षेत्रफल हर (डिनोमीनेटर) के रूप में दिखाया जायेगा	जोत का कुल क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

जोत की कुल भू-राजस्व	अभ्युक्ति
6	7

प्रार्थियो के हस्ताक्षर

1.....
6.....

2.....
7.....

3.....
8.....

4.....
9.....

5.....
10.....

संलग्नक: सबसे निकटतम वर्ष के अधिकार अभिलेखों से प्रमाणित उद्वहरण की एक प्रतिलिपि।

सहकारी कृषि प्रपत्र-1(क)

[नियम 294 (2) देखिये]

सेवा में,

निबन्धक उप-निबन्धक,
सहकारी समिति,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

हम सहकारी कृषि समिति..... के अधोहस्ताक्षरी सदस्यों के निम्नलिखित ब्यौरों की भूमि में, भूमिधारी तथा सीरदारी अधिकारी है:

हम लोग सहकारी कृषि समिति..... में उक्त भूमि का समुच्चय करने के लिए सहमत है और हम सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों आदि के संगत उपबन्धों का पालन करेगे।

प्रार्थियों की क्रम संख्या	खातेदार का नाम (पिता का नाम सहित प्रार्थियों के नाम, निवास-स्थान तथा आयु)	खाते के प्रकार	जोत के खेतों की खसरा संख्या जिसके साथ एकड़ो या मानक बीघों में क्षेत्रफल हर (डिनोमीनेटर) के रूप में दिखाया जायेगा	जोत का कुल क्षेत्रफल	जोत की भू-राजस्व	कुल अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

प्रार्थियो के हस्ताक्षर

1.....

4.....

2.....

5.....

3.....

6.....

संलग्नक: सबसे निकटतम वर्ष के अधिकार अभिलेखों से प्रमाणित उद्वहरण की एक प्रतिलिपि।

सहकारी कृषि प्रपत्र-2

(नियम 293 देखिये)

सहकारी कृषि समितियों का रजिस्टर

.....

सहकारी कृषि समिति का

नाम.....

.....

सहकारी समिति का

पता.....

.....

निबन्धन का

दिनांक.....

.....

क्रम संख्या	परगना	तहसील	सदस्यों के नाम, ग्राम	पिता का नाम तथा निवास स्थान
1	2	3	4	5

खेतों का खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भू-राजस्व
6	**7**	**8**

सहकारी कृषि प्रपत्र-3

(अधिनियम की धारा 84 तथा नियम 299 देखिये)

सेवा मे,

सहायक कलेक्टर,

प्रभारी परगना.....

जिला.....

महोदय,

सहकारी कृषि समिति..... के अन्तर्गत खेत अलग-अलग है;

कृपया उनकी यथाशक्य सम्भव एक सघन खण्ड में चकबन्दी की जाये। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत खेतों के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं:

ग्राम, परगना और तहसील का नाम	क्षेत्र (फार्म) के अन्तर्गत खातों की खसरा संख्या	एकड़ो या मानक बीघों मे खेत का क्षेत्रफल	खातेदार का नाम	खाते का वर्ग	भूमि का अभिलिखित राजस्व	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

सचिव,

सहकारी कृषि समिति।

सहकारी कृषि प्रपत्र-4

(नियम 301 देखिये)

सहकारी कृषि समिति का नाम.....

मूल्यांकन खसरा ग्राम.....

परगना..... तहसील.....

जिला.....

खेतो की खसरा संख्या	एकड़ो या मानक बीघो में खेतों का क्षेत्रफल	खातेदार का नाम तथा खाते का वर्ग	अभिलिखित भू-राजस्व या लगान	अन्तिम बन्दोबस्त या रोस्टर क्रियाओं में अवधारित मिट्टी का वर्ग	स्वीकृत मौरूसी दर	मूल्यांकन मौरूसी दर पर (स्तम्भ 2 X स्तम्भ 6)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

सहकारी कृषि प्रपत्र-5

(नियम 302 देखिये)

(चकबन्दी प्रस्ताव)

ग्राम.....

परगना.....

तहसील..... जिला.....

खेतो की खसरा	भुमि जो एक पक्ष द्वारा विनिमय में दी जायेगी			अभ्युक्ति
	क्षेत्रफल	मूल्यांकन	खातेदार का नाम तथा खाते का वर्ग	
1	2	3	4	5

खेतो की क्रम संख्या	क्षेत्रफल	मूल्यांकन	खातेदार का नाम तथा खाते का वर्ग	अभ्युक्ति
6	7	8	9	10